(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF Delhi (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., Delhi-110054.

Dated : 8/11/2016

NOTIFICATION

No. F. 8(107)/2016/DAM/MR/7502 In exercise of the powers conferred under rule 23(1) of Delhi Agricultural Produce Marketing (Election) Rules 2000, I, Sakshi Mittal, Director (Agricultural Marketing), Government of National Capital Territory of Delhi hereby notify the schedule for election for filling up of the vacancies in the Delhi Agricultural Marketing Board, the APMC (MNI), Azadpur and for constituting the new Marketing Committees:-

- One member of the Delhi Agricultural Marketing Board from licenced traders and commission agents of all Agricultural Produce Marketing Committees of Delhi enlisted as electors.
- 2 (a) Two members of APMC (MNI), Azadpur from amongst licenced traders and commission agents of APMC (MNI), Azadpur to be elected by licenced traders and commission agents of all the Marketing Committees of Delhi including Azadpur called "Local Seat".
 - (b) One member of APMC (MNI), Azadpur from licenced traders and commission agents of any of the Marketing Committee of Delhi to be elected by the licenced traders and commission agents of all the Marketing Committees of Delhi including Azadpur – called "Open Seat".
 - Two members of APMC, Narela from licenced traders and commission agents enlisted as electors.
 - Two members of APMC, Najafgarh from licenced traders and commission agents enlisted as electors.
 - Two members of APMC (Shahdara) Gazipur from licenced traders and commission agents enlisted as electors.
- 6 Two members of APMC, Keshopur from licenced traders and commission agents enlisted as electors.
- 7 Two members of Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur from licenced traders and commission agents enlisted as electors.
- 8 One member of APMC, Narela from licenced weighmen and measurers enlisted as electors.
- 9 One member of APMC, Najafgarh from licenced weighmen and measurers enlisted as electors.
- One member of APMC (Shahdara), Gazipur from licenced weighmen and measurers enlisted as electors.
- One member of APMC, Keshopur from licenced weighmen and measurers enlisted as electors.

Smt. Amita Suman presently posted as Deputy Director (AM), 49, Sham Nath Marg (Behind Old Sectt.), Delhi – 110054, Office Telephone No. 23818601 (Mobile No. 9212382124) has been appointed as Returning Officer for the above election which is scheduled as per programme given below: -

1	Last date for making nomination*	15.11.2016 (Tuesday) (11.00 AM to 3.00 PM)
2	Date for scrutiny of nominations	16.11.2016 (Wednesday) (11.00 AM)
3	Last date for withdrawal of candidature	18.11.2016 (Friday) upto 3.00 PM
4	Date of poll and time & hour	12.12.2016 (Monday (8.00 AM to 4.00 PM)
5	The date before which the election shall be completed	19.12.2016 (Monday)

* An affidavit regarding not having disqualifications, as per Rule 12 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Election) Rules, 2000 should be attached with the nomination paper alongwith "No Dues Certificate" from the Secretary of the APMC concerned in the prescribed language.

(SAKSHI MITTAL)

Director (Agri. Mktg.)

No. F. 8(107)/2016/DAM/MR/ 7502-16

Dated: 8/11/2016

Copy forwarded to the following for information:-

- 1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
- 2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
- 3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
- 4. The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
- 6. Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request
 that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the
 same may be arranged for this office (two copies).
- Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, and Flower Marketing Committee, Gazipur, Delhi
- 11 The Principal Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 12 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 13 The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 14 All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
- 15 Guard file.

(SAKSHI MITTAL) Director (Agri. Mktg.)

दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 8/11) 20/6

सं. एफ 8(107)/2016/डी.ए.एम./एम.आर./ 📆 🥏 🙎 दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (चुनाव) नियम, 2000 के नियम 23(1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, साक्षी मित्तल, निदेशक (कृषि विपणन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद् द्वारा दिल्ली कृषि विपणन परिषद, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी), आजादपुर के रिक्त स्थानों को भरनें ओर नई मण्डी समितियों के गठन के लिए चुनाव प्रकरण घोषित करती हूं.-

- दिल्ली कृषि विपणन परिषद का एक सदस्य दिल्ली के सभी कृषि विपणन समितियों के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) आजादपुर के दों सदस्य कृषि उत्पाद विपणन समिति आजादुपर के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से जो कि आजादपुर सहित सभी मण्डी समितियों के लाईसँस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा चुने जाएगें – यह "लोकल सीट" कहलायेगी।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) आजादपुर का एक सदस्य दिल्ली की किसी भी मण्डी समिति के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से जो कि आजादपुर सहित सभी मण्डी समितियों के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा चुने जाएगें – यह "**ओपन सीट"** कहलायेगी।
 - कृषि उत्पाद विपणन समिति नरेला के दो सदस्य वहां के लाईसँस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति नजफगढ़ के दो सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (शाहदरा), गाजीपुर के दो सदस्य वहां के लाईसँस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्ध किया
- कृषि उत्पाद विपणन समिति केशोपुर के दो सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- पुष्प विपणन समिति आई.एफ.सी. गाजीपुर के दो सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त व्यापारियों और कमीशन एजेंटों द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया
- कृषि उत्पाद विपणन समिति नरेला का एक सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त तोल-कर्ता ओर मापकर्ताओं द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति नजफगढ़ का एक सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त तोल-कर्ता ओर मापकर्ताओं द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।
- कृषि उत्पाद विपणन समिति (शाहदरा), गाजीपुर एक सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त तोल–कर्ता ओर मापकर्ताओं द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया
- कृषि उत्पाद विपणन समिति केशोपुर का एक सदस्य वहां के लाईसैंस प्राप्त तोल-कर्ता ओर मापकर्ताओं द्वारा जिन्हें निर्वाचक के रूप में सूचीबद्व किया गया है।

श्रीमति अमिता सुमन जो वर्तमान में उप-निदेशक (कृषि विपणन), 49, शामनाथ मार्ग (पुराना सचिवालय के पीछे), दिल्ली-110054. कार्यालय दूरभाष संख्या 23818601 (मोबाईल संख्या—9212382124), के पद पर कार्यरत हैं, को उपरोक्त चुनाव के लिए जो निम्न कार्यक्रमानुसार होना है, निर्वाचन अधिकारी (रिटरनिंग आफिसर) नियुक्त किया गया है: -

1	नामांकन की अंतिम तिथि *	15.11.2016 (मंगलवार) (प्रातः 11.00 बजे से साय 3.00 बजे तक)
2	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	16.11.2016 (बुधवार) (प्रातः 11.00 बजे)
3	उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने की तिथि	18.11.2016 (शुक्रवार) (3.00 बजे तक)
4	चुनाव की तिथि और समय, घंटे	12.12.2016 (सोमवार) (प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक)
5	वह तिथि जिससे पूर्व चुनाव कार्य पूरा होना है।	19.12.2016 (सोमवार)

* दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (चुनाव) नियम 2000 के नियम 12 के अनुसार अयोग्य नहीं होनें से संबंधित शपथ—पत्र तथा निर्धारित माषा में संबंधित कृषि उत्पाद विपणन समिति के सचिव द्वारा जारी "कोई देय बकाया नहीं है से संबंधित प्रमाण पत्र" नामांकन पेपर के साथ संलग्न किये जानें चाहिए।

आदेश से,

निदेशक (कृषि विपणन)

सं. एफ 8(107)/2016/डी.ए.एम./एम.आर./ 750 2-16

दिनांक : 8/11/20/6

प्रतिलिपि निम्न की जानकारी के लिए प्रेषित है :-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली / नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया / मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

(साक्षी मित्तल) निदेशक (कृषि विपणन)